आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 15)

[28 मार्च, 2002]

आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना, प्रारंभ, कालावधि और व्यावृत्ति।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, इसके उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप करने के लिए, जिसके लिए वह भारत में दोषी ठहराया जाता है, दंड के लिए दायी होगा।

(4) किसी व्यक्ति के, जो भारत से बाहर ऐसा कोई अपराध करता है, जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति में कार्रवाई की जाएगी मानो उसने ऐसा कार्य भारत में किया हो।

(5) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू होंगे,—

(क) भारत के बाहर भारत के नागरिक;

(ख) सरकारी सेवा के व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों; और

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर के व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।

(6) इस अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्यांक 24 और क्रम संख्यांक 25 की

प्रविष्टियों की बाबत जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह 24 अक्तूबर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और यह इसके प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु इस उपधारा के प्रवर्तन के अधीन इसकी समाप्ति,—

(क) इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

प्रभाव नहीं डालेगी और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम समाप्त नहीं हुआ हो।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है; 1974 का 2

(ख) "अभिहित प्राधिकारी" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी जो उस सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत होगा;

(ग) "आतंकवाद से प्राप्त आगम" से सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत होंगी जो किसी आतंकवादी कार्य को करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या किसी आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसके अंतर्गत नकदी भी है, इस बात को विचार में नहीं लाया जाएगा कि ऐसे आगम किस व्यक्ति के नाम में हैं या वे किसके कब्जे में पाए जाते हैं;

(घ) "संपत्ति" से प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां, चाहे वे मूर्त या अमूर्त, जंगम या स्थावर, भौतिक या अभौतिक हों और ऐसी संपत्ति या आस्तियों के हक या उसमें किसी हित के साक्ष्यस्वरूप विलेख और लिखत अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत बैंक खाते भी हैं;

(ङ) "लोक अभियोजक" से धारा 28 के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निदेशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है;

(च) "विशेष न्यायालय" से धारा 23 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) "आतंकवादी कार्य" का वही अर्थ है जो धारा 3 की उपधारा (1) में है और "आतंकवादी" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ज) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में हैं।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि या तत्समान विधि के सुसंगत उपबंध के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड और उनसे निपटने के लिए उपाय

आतंकवादी कार्यों के लिए दंड।

3. (1) जो कोई,—

(क) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से, बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्यथा), या ऐसे किन्हीं अन्य साधनों का, जो कोई भी हों, ऐसी रीति से उपयोग करके ऐसा कोई कार्य या बात करता है जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या संपत्ति की हानि या नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या कारित होना संभाव्य है या भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके किसी अभिकरण के किसी अन्य प्रयोजनों के संबंध में प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी संपत्ति या उपस्कर का नुकसान या उसका विनाश करता है या सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए विवश करने के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देता है;

1967 का 37 (ख) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किसी संगम का सदस्य है या उसका सदस्य बना रहता है या स्वेच्छया कोई कार्य करता है जो ऐसे संगम के उद्देश्यों में किसी भी रीति में सहायक है या उनका संवर्धन करने वाला है और किसी भी मामले में व्यापक विध्वंस करने में सक्षम कोई अननुज्ञप्त अग्न्यायुध, गोला-बारूद, विस्फोटक या अन्य उपकरण या पदार्थ उसके कब्जे में हैं और कोई ऐसा कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन की हानि होती है या किसी व्यक्ति को घोर क्षति पहुंचती है या किसी संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान कारित होता है,

वह आतंकवादी कार्य करता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आतंकवादी कार्य" के अंतर्गत आतंकवाद के प्रयोजन के लिए आशयित निधियों को जुटाने का कार्य भी है।

(2) जो कोई, आतंकवादी कार्य करेगा, वह—

(क) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

(ख) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) जो कोई, आतंकवादी कार्य या आतंकवादी कार्य की तैयारी का कार्य करने का षड्यंत्र करेगा, या प्रयत्न करेगा, या उसके किए जाने का पक्षपोषण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा या उद्दीप्त करेगा या उसका किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

(4) जो कोई, किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति आतंकवादी है, स्वेच्छया संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परन्तु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जहां संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है।

(5) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे आतंकवादी गिरोह या किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कार्यों में लिप्त है, वह कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आतंकवादी संगठन" से कोई ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसका संबंध आतंकवाद से है या वह उसमें लिप्त है।

(6) जो कोई, जानबूझकर ऐसी किसी संपत्ति को धारण करता है जो किसी आतंकवादी कार्य के किए जाने से व्युत्पन्न होती है या अभिप्राप्त की जाती है अथवा जो आतंकवादी निधियों के माध्यम से अर्जित की गई है, वह कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(7) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो साक्षी है या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें ऐसा साक्षी हितबद्ध हो सकता है, बल प्रयोग की धमकी देता है या साक्षी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें साक्षी हितबद्ध हो सकता है, सदोष अवरुद्ध या परिरुद्ध करता है या उक्त आशय से कोई अन्य विधिविरुद्ध कार्य करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

कुछ अप्राधिकृत आयुधों, आदि को कब्जे में रखना।

4. जहां कोई व्यक्ति—

(क) किसी अधिसूचित क्षेत्र में आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 के प्रवर्ग I या प्रवर्ग III (क) के स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध या गोला-बारूद;

(ख) किसी क्षेत्र में, चाहे अधिसूचित हो या न हो, कोई बम, डायनामाइट या परिसंकटमय विस्फोटक पदार्थ या व्यापक विध्वंस करने में सक्षम अन्य प्राणहर शस्त्र या युद्ध के जैविक या रासायनिक पदार्थ,

अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आतंकवादी कार्य का दोषी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "अधिसूचित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

वर्धित शास्तियां।

1884 का 4
1908 का 6
1952 का 20
1959 का 54

5. (1) यदि कोई व्यक्ति, किसी आतंकवादी की सहायता करने के आशय से विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 या आयुध अधिनियम, 1959, के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, तो वह पूर्वोक्त अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, जो किसी विधि, नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करेगा या उसके उल्लंघन की तैयारी का कोई कार्य करेगा, यह समझा जाएगा कि उसने उस उपबंध का उल्लंघन किया है और उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति के संबंध में, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे कि "आजीवन कारावास" के प्रति निर्देश का "दस वर्ष की अवधि का कारावास" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

आतंकवाद से प्राप्त आगमों का धारण करना विधिविरुद्ध होना।

6. (1) कोई भी व्यक्ति, आतंकवाद से प्राप्त किसी आगम को धारण नहीं करेगा या उसे कब्जे में नहीं रखेगा।

(2) आतंकवाद से प्राप्त आगम, चाहे किसी आतंकवादी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित हों और चाहे ऐसे व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन अभियोजन या दोषसिद्धि हुई हो अथवा न हुई हो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति में समपहरण के लिए दायी होंगे।

अन्वेषण अधिकारियों की शक्तियां और अभिहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।

7. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के (जो पुलिस अधीक्षक से अन्यून पंक्ति का न हो) पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई संपत्ति, जिसके संबंध में कोई अन्वेषण किया जा रहा है, आतंकवाद से प्राप्त आगमों से उत्पन्न है तो वह उस राज्य के, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण का आदेश करेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य न हो, वहां यह निदेश देते हुए कुर्की का आदेश करेगा कि ऐसी संपत्ति का, आदेश करने वाले अधिकारी, या अभिहित प्राधिकारी की जिसके समक्ष अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं, पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं किया जाएगा, और ऐसे आदेश की प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह उपबंध किया जाता है कि जहां इस अधिनियम के अधीन किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता है और अन्वेषण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसी कोई भी संपत्ति है जो ऐसे आतंकवादी संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत या कुर्क कर सकेगा।

(3) अन्वेषण अधिकारी, ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के अड़तालीस घंटे के भीतर, अभिहित प्राधिकारी को सम्यक् रूप से सूचना देगा।

(4) ऐसा अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं, इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इस प्रकार जारी कुर्की के आदेश की पुष्टि करे या उसका प्रतिसंहरण करे:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(5) अन्वेषण अधिकारी द्वारा कुर्क की गई स्थावर संपत्ति की दशा में, यह समझा जाएगा कि वह, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष तब प्रस्तुत कर दी गई है जब अन्वेषण अधिकारी, अभिहित प्राधिकारी को

(6) अन्वेषण अधिकारी, किसी ऐसी नकदी का जिसे यह अध्याय लागू होता है अभिग्रहण कर सकेगा और उसे रोक सकेगा यदि उसके पास यह संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि—

(क) वह आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;

(ख) वह ऐसे संगठन का संपूर्ण स्रोत है या उसका अंश है जिसे इस अधिनियम के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है:

परन्तु अन्वेषण अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन अभिगृहीत नकदी को उस समय से आरंभ होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के अपश्चात् निर्मुक्त कर दिया जाएगा, जब उसे अभिगृहीत किया गया था, सिवाय तब के जब नकदी को अंतर्वलित करने वाला मामला अभिहित प्राधिकारी के समक्ष हो और ऐसा प्राधिकारी उसे अड़तालीस घंटे से अधिक प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात करने वाला आदेश पारित करे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "नकदी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) किसी भी करेंसी में सिक्के और नोट;

(ख) पोस्टल आर्डर;

(ग) यात्री चैक;

(घ) बैंकर्स ड्राफ्ट्स; और

(ङ) ऐसी अन्य धनीय लिखतें जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(7) अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विशेष न्यायालय में अपील कर सकेगा और विशेष न्यायालय या तो संपत्ति की कुर्की या ऐसे किए गए अभिग्रहण के आदेश की पुष्टि कर सकेगा या ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा और संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

आतंकवाद के आगमों का समपहरण।

8. जहां कोई संपत्ति इस आधार पर अभिगृहीत या कुर्क की जाती है कि वह आतंकवाद से प्राप्त आगम हैं और धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन इस संबंध में विशेष न्यायालय का समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसी संपत्ति के समपहरण का आदेश कर सकेगा, चाहे उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से उसे अभिगृहीत या कुर्क किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए विशेष न्यायालय में अभियोजित किया गया है या नहीं।

आतंकवाद से प्राप्त आगमों के समपहरण से पूर्व कारण बताओ सूचना का जारी किया जाना।

9. (1) धारा 8 के अधीन आतंकवाद से प्राप्त किसी आगम का समपहरण करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे आगमों को धारण करने वाले या कब्जे में रखने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में उन आधारों की सूचना न दे दी गई हो जिन पर आतंकवाद से प्राप्त आगमों का समपहरण प्रस्तावित है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, समपहरण के आधारों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो और उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी न दे दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन समपहरण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वह ऐसे आगमों का एक सद्भावी मूल्यार्थ अंतरिती है जिसे यह जानकारी नहीं है कि वे आतंकवाद से प्राप्त आगम हैं।

(3) विशेष न्यायालय, अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्ति की बाबत निम्नलिखित आदेश करने के लिए सक्षम होगा,—

(क) उसका विक्रय करने का निदेश देना, यदि वह विनश्वर संपत्ति है और संहिता की धारा 459 के उपबंध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे;

(ख) किसी अन्य संपत्ति के मामले में, केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी का, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विशेष न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का अनुपालन करने के लिए नामनिर्देशन करना।

अपील।

10. (1) धारा 8 के अधीन समपहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय, जिसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, स्थित है।

(2) जहां धारा 8 के अधीन कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या अकृत किया जाता है या जहां इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कोई अभियोजन संस्थित किया जाता है और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 8 के अधीन समपहरण का आदेश किया गया है, दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति उसे वापस कर दी जाएगी और किसी भी मामले में यदि किसी कारण से समपहृत संपत्ति वापस करना संभव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी कीमत का संदाय, युक्तियुक्त ब्याज के साथ, जो संपत्ति के अभिग्रहण के दिन से इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो संपत्ति केन्द्रीय सरकार को विक्रय की गई हो और ऐसी कीमत विहित रीति में अवधारित की जाएगी।

समपहरण के आदेश से अन्य दंडो में बाधा न पड़ना।

11. विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया समपहरण का आदेश, किसी ऐसे अन्य दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

तीसरे पक्षकार के दावे।

12. (1) जहां धारा 7 के अधीन किसी संपत्ति के अभिग्रहण के संबंध में कोई दावा लाया जाता है या कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी संपत्ति अभिग्रहण के लिए दायी नहीं है वहां अभिहित प्राधिकारी, जिसके समक्ष ऐसी संपत्ति पेश की जाती है, ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होगा:

परंतु ऐसा अन्वेषण वहां नहीं किया जाएगा जहां अभिहित प्राधिकारी यह समझता है कि दावा या आक्षेप अनावश्यक विलंब कारित करने के लिए किया गया है।

(2) जहां दावेदार या आक्षेपकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि धारा 9 के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहृत होने के लिए दायी नहीं है, वहां उक्त सूचना तदनुसार वापस ले ली जाएगी या उपांतरित कर दी जाएगी।

अभिहित प्राधिकारी की शक्तियां।

13. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अभिहित प्राधिकारी को उसके समक्ष वाले मामले में पूर्ण और ऋजु जांच करने के लिए अपेक्षित सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

सूचना देने की बाध्यता।

14. (1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने वाला कोई अधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी बैंक या किसी कम्पनी या किसी फर्म या किसी अन्य संस्था, स्थापन, संगठन या किसी व्यष्टि से ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे मुद्दों या विषयों पर उनके कब्जाधीन सूचना देने की, जहां अन्वेषण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सूचना इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी, अपेक्षा कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मांगी गई सूचना देने में असफल रहने पर या जानबूझकर मिथ्या सूचना देने पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अपराध का संक्षिप्त मामले के रूप में विचारण किया जाएगा और उसे उक्त संहिता के अध्याय 21 में विहित प्रक्रिया [धारा 262 की उपधारा (2) के सिवाय] लागू होगी।

कतिपय अंतरणों का अकृत और शून्य होना।

15. जहां, धारा 7 के अधीन किसी आदेश के जारी होने के पश्चात् या धारा 9 के अधीन किसी सूचना के जारी होने के पश्चात् उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति, चाहे किसी भी ढंग से अंतरित की जाती है, वहां ऐसे अंतरण पर, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए, ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि बाद में ऐसी संपत्ति का समपहरण किया जाता है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा।

कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण।

16. (1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी कि उसकी सभी या कोई संपत्तियां, जंगम या स्थावर, या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क कर ली जाएं यदि वे इस अधिनियम के अधीन पहले से ही कुर्क नहीं की गई हैं।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है वहां, विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि अभियुक्त की कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर, या दोनों, और जो आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, सभी विल्लंगमों से मुक्त, समपहृत हो जाएंगी।

कंपनी द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण किया जाना।

17. जहां किसी कंपनी में कोई शेयर इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को समपहृत हो जाते हैं, वहां कंपनी, विशेष न्यायालय के आदेश की प्राप्ति पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी। 1956 का 1

अध्याय 3

आतंकवादी संगठन

किसी संगठन की आतंकवादी संगठन के रूप में घोषणा।

18. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई संगठन आतंकवादी संगठन है यदि—

(क) वह अनुसूची में सूचीबद्ध है, या

(ख) वह उस अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में उसी नाम से क्रियाशील है।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा,—

(क) अनुसूची में किसी संगठन को जोड़ सकेगी;

(ख) उस अनुसूची से किसी संगठन को हटा सकेगी;

(ग) किसी अन्य रीति में उस अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।

(3) किसी संगठन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकेगी यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में लिप्त है।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, कोई संगठन आतंकवाद में लिप्त समझा जाएगा यदि वह—

(क) आतंकवादी कार्यों को करता है या उनमें भागीदार है;

(ख) आतंकवाद के लिए तैयारी करवाता है;

(ग) आतंकवाद को बढ़ावा देता है या उसे प्रोत्साहित करता है; या

(घ) आतंकवाद में अन्यथा लिप्त है।

किसी आतंकवादी संगठन की अधिसूचना का वापस लिया जाना।

19. (1) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुसूची से किसी संगठन को हटाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसे आवेदन किया जा सकेगा।

(2) आवेदन—

(क) किसी संगठन, या

(ख) ऐसे व्यक्ति, जो संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से प्रभावित है,

द्वारा किया जा सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन दिए गए किसी आवेदन को ग्रहण करने या निपटाने की प्रक्रिया विहित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वहां आवेदक, उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा।

(5) पुनर्विलोकन समिति, अनुसूची से किसी संगठन को हटाने से इन्कार करने के विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन को अनुज्ञात कर सकेगी, यदि वह यह समझती है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन को लागू सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विचार किए जाने पर, इन्कार करने का विनिश्चय दोषपूर्ण था।

(6) जहां पुनर्विलोकन समिति, किसी संगठन द्वारा या उसके संबंध में उपधारा (5) के अधीन पुनर्विलोकन अनुज्ञात करती है, वहां वह इस उपधारा के अधीन आदेश कर सकेगी।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार, उसके द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही, यथाशीघ्र, अनुसूची की सूची से संगठन को हटाने का आदेश करेगी।

किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता संबंधी अपराध।

20. (1) कोई व्यक्ति, अपराध कारित करता है यदि वह किसी आतंकवादी संगठन से संबंधित है या उससे संबंधित होने की प्रव्यंजना करता है:

परंतु यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी जहां कोई आरोपित व्यक्ति यह साबित करने में समर्थ है कि,—

(क) संगठन, उस समय जब वह उसका सदस्य बना था या उसने सदस्य होने की प्रव्यंजना आरंभ की थी, आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया गया था; और

(ख) उसने अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में उसके सम्मिलित होने के दौरान, किसी भी समय संगठन के क्रियाकलापों में भाग नहीं लिया है।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी कोई व्यक्ति, दोषसिद्ध किए जाने पर दस वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन के संबंध में अपराध।

21. (1) कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है यदि,—

(क) वह किसी आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन का आमंत्रण करता है, और

(ख) यह समर्थन, धारा 22 के अर्थान्तर्गत, धन या अन्य संपत्ति प्रदान करना ही नहीं है या उसी तक सीमित नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति, अपराध कारित करता है यदि वह किसी ऐसी बैठक की व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है या उसकी व्यवस्था करने या प्रबंध करने में सहायता करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह,—

(क) किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के लिए है, या

(ख) किसी आतंकवादी संगठन के क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए है, या

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संबोधित की जाने वाली है जो किसी आतंकवादी संगठन से संबंधित है या उससे संबंधित होने की प्रव्यंजना करता है

(3) कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है यदि वह किसी आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन प्रोत्साहित करने के प्रयोजन के लिए या उसके क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए किसी बैठक को संबोधित करता है।

(4) इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी कोई व्यक्ति, दोषसिद्ध किए जाने पर दस वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बैठक" पद से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की बैठक अभिप्रेत है चाहे उसमें जनता सम्मिलित की जाती है या नहीं।

किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाना एक अपराध होगा।

22. (1) कोई व्यक्ति, अपराध कारित करता है, यदि वह,—

(क) धन या अन्य संपत्ति देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करता है, और

(ख) यह आशय रखता है कि वह आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए या युक्तियुक्त रूप से संदेह करने का कारण रखता है कि यह उसके लिए प्रयुक्त की जा सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है यदि वह,—

(क) धन या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है, और

(ख) यह आशय रखता है कि वह आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए या युक्तियुक्त रूप से संदेह करने का कारण रखता है कि यह उसके लिए प्रयुक्त की जा सकेगी।

(3) कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है यदि वह,—

(क) धन या अन्य संपत्ति देता है, और

(ख) यह जानता है या युक्तियुक्त रूप से संदेह करने का कारण रखता है कि यह आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाएगी या प्रयुक्त की जा सकेगी।

(4) इस धारा में धन या अन्य संपत्ति देने के प्रति निर्देश, उसके दिए जाने, उधार देने या अन्यथा रूप में उपलब्ध कराने के, चाहे यह प्रतिफल सहित हो या नहीं, प्रति निर्देश है।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी कोई व्यक्ति, दोषसिद्ध किए जाने पर चौदह वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालय।

23. (1) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी।

(2) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने वाली कोई अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की जाती है, और उसी क्षेत्र या उन्हीं क्षेत्रों के लिए या उसी मामले या मामलों के उसी वर्ग या समूह के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने वाली कोई अधिसूचना उस उपधारा के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा भी जारी की गई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा गठित विशेष न्यायालय को, चाहे ऐसे न्यायालय का गठन करने वाली अधिसूचना, राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन करने वाली अधिसूचना जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् जारी की जाती है, न कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष

न्यायालय को, यथास्थिति, उस क्षेत्र या क्षेत्रों में किए गए किसी अपराध का या, किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह का विचारण करने की अधिकारिता होगी और राज्य सरकार द्वारा गठित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामले केंद्रीय सरकार द्वारा गठित विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे।

(3) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, वहां वह केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, उस मामले में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) किसी विशेष न्यायालय का अध्यक्ष ऐसा न्यायाधीश होगा जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नियुक्त किया जाएगा।

(5) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकेगी।

(6) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।

(7) शंकाओं को दूर करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा, उस सेवा में जिसका वह है, उसे लागू नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने से, उसके ऐसे न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(8) जहां किसी विशेष न्यायालय में किसी अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विशेष न्यायालय के कामकाज का वितरण सभी न्यायाधीशों में कर सकेगा जिनके अन्तर्गत वह स्वयं और अपर न्यायाधीश है या अपर न्यायाधीश हैं और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कामकाज के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा।

बैठक का स्थान।

24. कोई विशेष न्यायालय, स्वप्रेरणा से या लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर और यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझता है तो, अपनी बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अपनी कार्यवाहियों में से किसी के लिए अधिविष्ठ हो सकेगा:

परन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के बाहर किसी स्थान पर गठित किसी विशेष न्यायालय के अधिविष्ठ होने के स्थान में परिवर्तन हो गया है।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता।

25. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध, यथास्थिति, उस विशेष न्यायालय द्वारा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया था या धारा 23 के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के द्वारा ही विचारणीय होगा।

(2) यदि किसी राज्य में विद्यमान स्थिति की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए—

(क) ऋजु, निष्पक्ष या शीघ्र विचारण किया जाना संभव नहीं है; या

(ख) शांति भंग या अभियुक्त, साक्षियों, लोक अभियोजक और विशेष न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उनमें से किसी की सुरक्षा को गंभीर जोखिम के बिना विचारण किया जाना साध्य नहीं है; या

(ग) यह अन्यथा न्याय के हित में नहीं है,

तो उच्चतम न्यायालय, किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा और उच्च न्यायालय, उस राज्य में स्थित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के भीतर किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इस धारा के अधीन या तो केन्द्रीय सरकार या हितबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर कार्य कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो, सिवाय तब के जब आवेदक भारत का महान्यायवादी हो, एक शपथपत्र या प्रतिज्ञान से समर्थित होगा।

अन्य अपराधों की बाबत विशेष न्यायालयों की शक्ति।

26. (1) किसी अपराध का विचारण करते समय, कोई विशेष न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए संहिता के अधीन अभियुक्त पर उसी विचारण में आरोप लगाया गया हो, यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा सकेगा और, यथास्थिति, इस अधिनियम या ऐसे नियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा या दंड दे सकेगा।

नमूनों आदि के लिए निदेश देने की शक्ति।

27. (1) जहां किसी मामले का अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की हस्तलिपि, अंगुलीछाप, पदछाप, फोटोग्राफ, रक्त, लार, शुक्र, बाल, ध्वनि के नमूने अभिप्राप्त करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करता है जिसके संबंध में युक्तियुक्त रूप से यह संदेह हो कि वह इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने में अंतर्वलित है, वहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उस पुलिस अधिकारी को ऐसे नमूने, यथास्थिति, किसी चिकित्सा व्यवसायी के माध्यम से या अन्यथा दिए जाएं।

(2) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति उपधारा (1) में यथाउपबंधित नमूने देने से इंकार करता है तो न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकेगा:

लोक अभियोजक।

28. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परंतु, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी मामले या किन्हीं मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है या कम से कम सात वर्ष की अवधि तक संघ या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तिया।

29. (1) धारा 50 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय, अपने समक्ष विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना, ऐसे तथ्यों के, जिससे ऐसा अपराध गठित होता है, परिवाद की प्राप्ति पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा।

(2) जहां विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार, उस अपराध का विचारण, संक्षिप्त रूप से कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से धारा 265 तक के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु जब, इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना अवांछनीय है तो विशेष न्यायालय किन्हीं ऐसे साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और संहिता के उपबंधों द्वारा ऐसे अपराध के विचारण के लिए उपबंधित रीति से मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा और उक्त उपबंध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, विशेष न्यायालय के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि का कारावास और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण, जहां तक हो सके, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे करेगा, मानो वह सेशन न्यायालय हो।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 25 के अधीन किसी विशेष न्यायालय को अंतरित प्रत्येक मामले के संबंध में वैसे ही कार्यवाही की जाएगी मानो वह मामला संहिता की धारा 406•के अधीन ऐसे विशेष न्यायालय को अंतरित किया गया हो।

(5) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किंतु संहिता की धारा 299 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय, यदि वह ठीक समझे और उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अभियुक्त या उसके अभिवक्ता की अनुपस्थिति में विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा और प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन रहते हुए, किसी साक्षी के साक्ष्य को अभिलिखित कर सकेगा।

30. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि विशेष न्यायालय ऐसी वांछा करता है तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, बंद कमरे में की जा सकेंगी। साक्षियों का संरक्षण।

(2) विशेष न्यायालय, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे साक्षी का जीवन खतरे में है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे साक्षी की पहचान और उसका पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों के अंतर्गत, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, निम्नलिखित हैं–

(क) किसी ऐसे स्थान में कार्रवाई करना जो विशेष न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाए;

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में अथवा मामले के ऐसे किसी अभिलेख में, जो जनता की पहुंच में है, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना;

(ग) साक्षियों की पहचान और उनके पते प्रकट न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी करना;

(घ) ऐसा विनिश्चय करना कि यह आदेश करना लोकहित में है कि ऐसे किसी न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या किन्हीं कार्यवाहियों को किसी भी रीति में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी विनिश्चय या जारी किए गए निदेश का उल्लंघन करता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण की अग्रता।

31. किसी विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय नहीं है) अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता प्राप्त होगी और उसका ऐसे अन्य मामले के विचारण पर अधिमान देते हुए निर्णय किया जाएगा तथा तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण प्रास्थगित रहेगा।

पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई कतिपय संस्वीकृतियों का विचार में लिया जाना।

32. (1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई संस्वीकृति, और जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक या इलैक्ट्रानिक युक्ति से, जैसे कैसेट, टेप या साऊंड ट्रैक, जिससे ध्वनि या आकृतियां पुनः प्रस्तुत की जा सकती हैं, अभिलिखित की गई हैं, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के विचारण में ग्राह्य होंगी। 1872 का 1

(2) पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में यह स्पष्ट करेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उसका उपयोग उसके विरुद्ध किया जा सकेगा:

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति चुप रहता है, वहां पुलिस अधिकारी उसे ऐसी संस्वीकृति करने के लिए विवश या उत्प्रेरित नहीं करेगा।

(3) संस्वीकृति धमकी या उत्प्रेरण से मुक्त वातावरण में अभिलिखित की जाएगी और उसी भाषा में होगी जिसमें वह व्यक्ति संस्वीकृति करता है।

(4) ऐसे व्यक्ति को, जिसकी संस्वीकृति उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित की गई है, अड़तालीस घंटे के भीतर यांत्रिक या इलैक्ट्रानिक युक्ति पर लिखित या अभिलिखित संस्वीकृति के मूल कथन सहित, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाएगा।

(5) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए कथन को, यदि कोई हो, अभिलिखित करेगा और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा और यदि यातना दिए जाने की कोई शिकायत हो तो ऐसे व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन से अनिम्न पंक्ति के किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सीय परीक्षा के लिए पेश किए जाने का निदेश देगा और तत्पश्चात् उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगा।

मामलों को नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति।

33. जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, विशेष न्यायालय की यह राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता प्राप्त है और वह न्यायालय, जिसे ऐसा मामला अंतरित किया जाता है, अपराध के विचारण के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो।

34. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय में, तथ्यों और विधि, दोनों के बारे में होगी। अपील।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च न्यायालय" से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता में वह विशेष न्यायालय स्थित है जिसने वह निर्णय, दंडादेश या आदेश पारित किया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा सुनी जाएगी।

(3) पूर्वोक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जिसके अंतर्गत कोई अंतर्वर्ती आदेश भी है, कोई अपील या पुनरीक्षण किसी न्यायालय में नहीं होगा।

(4) संहिता की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या मंजूर करने से इन्कार करने वाले के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश की, जिससे अपील की गई है, तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी :

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

35. (1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध की दशा में, इस अधिनियम द्वारा विशेष न्यायालय को प्रदान की गई अधिकारिता का प्रयोग, जब तक कि धारा 23 के अधीन विशेष न्यायालय गठित नहीं किया जाता है संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस मंडल के सेशन न्यायालय द्वारा, जिसमें ऐसा अपराध कारित हुआ है किया जाएगा और उसे इस अध्याय के अधीन उपबंधित सभी शक्तियां होंगी और वह इसमें उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। संक्रमणकालीन उपबंध और लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

(2) धारा 23 के अधीन विशेष न्यायालय गठित किए जाने की तारीख से ही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रत्येक विचारण, जिसका विशेष न्यायालय के समक्ष किया जाना अपेक्षित होता, उक्त न्यायालय को उसके गठन की तारीख को अंतरित हो जाएगा।

अध्याय 5

कतिपय मामलों में संसूचना का अन्तरावरोधन

36. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "इलैक्ट्रानिक संसूचना" से किसी तार, रेडियो, विद्युत चुंबकीय, फोटो इलैक्ट्रानिक या फोटो प्रकाशीय प्रणाली द्वारा संपूर्णतः या भागतः पारेषित किसी प्रकार के चिह्नों, संकेतों, रेखनों, प्रतिबिम्बों, ध्वनियों, आंकड़ों या आसूचना का ऐसा पारेषण अभिप्रेत है जो अन्तर्देशीय या विदेशी वाणिज्य को प्रभावित करता है किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,—

(i) डोरीरहित टेलीफोन के रेडियो भाग से वह संसूचना, जो बेतार टेलीफोन हैंडसेट और आधारिक एकक के बीच पारेषित की गई है; या

(ii) किसी तार से या मौखिक कोई संसूचना; या

(iii) केबल टोन पेंजिग युक्ति के माध्यम से दी गई कोई संसूचना; या

(ख) "अन्तर्रुद्ध" से तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु का किसी इलैक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति के उपयोग के माध्यम से कर्णगत या अन्य अर्जन अभिप्रेत है;

(ग) "मौखिक संसूचना" से कोई ऐसी मौखिक संसूचना अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा यह प्रत्याशा प्रदर्शित करते हुए उच्चारित की गई है कि ऐसी संसूचना, ऐसी प्रत्याशा को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अधीन अन्तर्रुद्ध किए जाने के अधीन नहीं है, किंतु इस पद में कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना सम्मिलित नहीं है ;

(घ) "तार संसूचना" से प्रारंभ स्थल और संयोजन स्थल के बीच तथा प्रारंभ स्थल और श्रवण स्थल के बीच (इसमें स्विचन केंद्र में ऐसे संयोजन का उपयोग सम्मिलित है) तार, केबल या अन्य वैसे ही संयोजन की सहायता से संसूचना के पारेषण के लिए सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से पूर्णतः या भागतः किया गया कर्णगत पारेषण अभिप्रेत है और इस पद में ऐसी संसूचना का कोई इलैक्ट्रानिक भंडारण सम्मिलित है ।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति ।

37. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार की दशा में, सरकार के सचिव और केंद्रीय सरकार की दशा में, सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन के प्राधिकार के लिए आवेदन ।

38. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी आतंकवादी कार्य के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाला पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, जब उसे यह विश्वास हो कि ऐसे अंतरावरोधन से ऐसें किसी अपराध का जिसमें कोई आंतकवादी कार्य अंतर्वलित है, साक्ष्य मिल सकता है या मिला है तो वह अन्वेषण अधिकारी द्वारा तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत करने या अनुमोदन करने वाले आदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:—

(क) आवेदन करने वाले अन्वेषण अधिकारी और आवेदन को प्राधिकृत करने वाले विभागाध्यक्ष की पहचान;

(ख) उन तथ्यों और परिस्थितियों का विवरण जिनका आवेदक द्वारा अपने इस विश्वास को न्यायोचित ठहराने के लिए अवलंब लिया गया है कि आदेश जारी किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) उस आतंकवादी कार्य के अपराध के ब्यौरे जो किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(ii) उन सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति का विशिष्ट वर्णन जिनसे और वह स्थान जहां संसूचना को अन्तर्रुद्ध किया जाना है;

(iii) उस संसूचना की किस्म का विशिष्ट वर्णन जिसे अन्तर्रुद्ध करने की वांछा की गई है; और

(iv) उस व्यक्ति, यदि ज्ञात हो, की पहचान जो आतंकवादी कार्य कर रहा है और जिसकी संसूचना अन्तर्रुद्ध की जानी है;

(ग) यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि अन्तरावरोधन का प्राधिकार वर्णित प्रकार की संसूचना अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्वतः समाप्त नहीं होना चाहिए तो उस समयावधि का विवरण जिसके लिए अन्तरावरोधन बनाए रखना अपेक्षित है ।

(घ) यह विश्वास करने का कि इसी प्रकार की अतिरिक्त संसूचनाएं उसके पश्चात् होंगी, अधिसंभाव्य हेतुक स्थापित करने वाले तथ्यों का विशिष्ट वर्णन; और

(ङ) जहां आवेदन किसी आदेश के विस्तार के लिए है वहां अंतरावरोधन से प्राप्त अब तक के परिणाम वर्णित करने वाला कोई विवरण या ऐसे परिणाम प्राप्त करने में असफलता का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण।

(3) सक्षम प्राधिकारी आवेदक से, आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अन्तरावरोधन के लिए आवेदन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय।

39. (1) ऐसे आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या अनुरोध किए गए अनुसार या उपांतरित रूप में, तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने वाला कोई आदेश जारी कर सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर यह अवधारित करता है कि,—

(क) विश्वास करने के लिए अधिसंभाव्य हेतुक है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन वर्णित और दंडनीय बनाया गया कोई विशिष्ट अपराध कर रहा है, किया है या करने वाला है;

(ख) यह विश्वास करने का अधिसंभाव्य हेतुक है कि उस अपराध से संबंधित विशिष्ट संसूचनाएं ऐसे अंतरावरोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की जा सकती हैं;

(ग) यह विश्वास करने का अधिसंभाव्य हेतुक है कि उन सुविधाओं का, जिनसे या उस स्थान का जहां पर तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाओं का अंतरावरोधन किया जाना है, ऐसे अपराध को कारित करने के संबंध में उपयोग किया जा रहा है या किया जाना है, ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के नाम पर सूचीबद्ध है या उसके द्वारा सामान्यतः प्रयोग किया जाता है।

(2) इस धारा के अधीन किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) ऐसे व्यक्ति की पहचान, यदि वह ज्ञात है, जिसकी संसूचनाओं को अन्तर्रुद्ध किया जाना है;

(ख) ऐसी संसूचना सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति जिनके बारे में या वह स्थान, जहां अन्तर्रुद्ध करने का प्राधिकार अनुदत्त किया जाता है;

(ग) अन्तर्रुद्ध किए जाने के लिए ईप्सित संसूचना की किस्म का विशिष्ट वर्णन और उस विशिष्ट अपराध का, जिससे वह संबंधित है, विवरण;

(घ) संसूचनाओं को अन्तर्रुद्ध करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण की और आवेदन प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की पहचान; और

(ङ) वह कालावधि, जिसके दौरान ऐसा अंतरावरोधन प्राधिकृत किया जाता है, जिसके अन्तर्गत इस बारे में विवरण भी है कि वर्णित संसूचना पहली बार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसा अंतरावरोधन स्वतः समाप्त हो जाएगा या नहीं।

अन्तरावरोधन के आदेश का पुनर्विलोकन समिति को प्रस्तुत किया जाना।

40. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के तुरंत पश्चात्, किन्तु किसी भी दशा में आदेश पारित किए जाने के सात दिन के अपश्चात्, उसकी एक प्रति के साथ उक्त आदेश की बाबत सभी सुसंगत समर्थनकारी कागजपत्र, अभिलेख और उसके अपने निष्कर्ष, धारा 60 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को, पुनर्विलोकन समिति के विचारार्थ और उसके द्वारा किए गए आदेश के अनुमोदनार्थ, प्रस्तुत करेगा।

(2) इस धारा के अधीन, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अंतरावरोधन को प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश में, आवेदक के अनुरोध पर यह निदेश दिया जाएगा कि तार या इलैक्ट्रानिक [illegible]

को वे सभी जानकारियां, सुविधाएं और तकनीकी सहायता जो अन्तरावरोधन को निर्विघ्न रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है और ऐसी सेवाओं में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए, देगा जो ऐसा सेवा प्रदाता, भूस्वामी, अभिरक्षक या व्यक्ति, उस व्यक्ति को प्रदान कर रहा है जिसकी संसूचना का अन्तरावरोधन किया जाना है ।

अन्तरावरोधन आदि के आदेश की कालावधि ।

41. (1) इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई आदेश, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोध को, उसके प्राधिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत या अनुमोदित नहीं कर सकेगा और न ही किसी भी दशा में यह साठ दिन से अधिक लंबी होगी और ऐसी साठ दिन की अवधि उस दिन से ठीक पूर्व के दिन से, जिसको अन्वेषण अधिकारी आदेश के अधीन किसी अन्तरावरोधन को सर्वप्रथम आरंभ करता है या आदेश जारी करने के दस दिन पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगी ।

(2) किसी आदेश का विस्तारण धारा 38 की उपधारा (1) के अनुसार किए गए किसी विस्तार के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने पर ही, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) में यथापेक्षित निष्कर्ष निकाले जाने पर ही, मंजूर किया जा सकेगा और ऐसे विस्तार की अवधि उससे अधिक नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी उन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जिनके लिए वह उसे दिया गया था और वह अवधि किसी भी दशा में एक बार में साठ दिन से अधिक नहीं होगी ।

(3) प्रत्येक आदेश और उसके विस्तार में यह उपबंध होगा कि अन्तर्रुद्ध करने का प्राधिकार यथासाध्य शीघ्रता से निष्पादित किया जाएगा और ऐसी रीति से किया जाएगा जिससे कि उन संसूचनाओं का कम से कम अन्तरावरोधन हो जो इस धारा के अधीन अन्यथा अन्तरावरोधन के अधीन न हो और वह प्राधिकृत लक्ष्य की प्राप्ति पर या किसी भी दशा में, उक्त आदेश या उसके विस्तार की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

अन्तरावरोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

42. (1) इस अध्याय के अधीन कोई अन्तरावरोधन किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा पूर्णतः या भागतः किया जा सकेगा जो अन्तरावरोधन करने के लिए प्राधिकृत अन्वेषण अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहा है ।

(2) जब कभी अन्तरावरोधन प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश इस धारा के अनुसरण में जारी किया जाता है तब उसमें उस सक्षम प्राधिकारी से, जिसने आदेश जारी किया है, ऐसी रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जा सकेगी जिसमें यह दर्शित हो कि प्राधिकृत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रगति हुई है और अनवरत अन्तरावरोधन की आवश्यकता है और ऐसी रिपोर्ट ऐसे अंतरालों पर दी जाएगी जो सक्षम प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

आपात में संसूचना का अन्तरावरोधन ।

43. (1) इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अपर महानिदेशक से या समतुल्य पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी जो युक्तियुक्त रूप से यह अवधारण करता है कि–

(क) ऐसी आपातस्थिति विद्यमान है जिसमें–

(i) किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का आसन्न खतरा अंतर्वलित है ; या

(ii) राज्य की सुरक्षा या हित को संकट में डालने वाले षड्यंत्रकारी कार्यकलाप अंतर्वलित हैं ; या

(iii) आतंकवादी कृत्य के लक्षण वाले ऐसे षड्यंत्रकारी कार्यकलाप अंतर्वलित हैं जिनमें सक्षम प्राधिकारी से, सम्यक् तत्परता से, ऐसे अन्तरावरोधन को प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश प्राप्त किए जा सकने के पूर्व, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अन्तरावरोधन किया जाना आवश्यक है ; और

(ख) ऐसे आधार हैं जिन पर ऐसे अन्तरावरोधन को प्राधिकृत करने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए,

तो वह ऐसे तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अन्तर्रुद्ध करने के लिए अन्वेषण अधिकारी को लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा, यदि अन्तरावरोधन का अनुमोदन करने के किसी आदेश के लिए कोई आवेदन ऐसे अन्तर्रुद्ध होने के या होना आरंभ होने के अड़तालीस घंटे के भीतर धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए अन्तरावरोधन के अनुमोदन के लिए किसी आदेश के न होने पर, ऐसा अन्तरावरोधन उस दशा में तुरंत समाप्त हो जाएगा जब ईप्सित संसूचना अभिप्राप्त हो जाती है या जब आदेश के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, जो भी पूर्वतर हो; और अन्तरावरोधन अनुज्ञात करने वाले किसी आवेदन के धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, नामंजूर कर दिए जाने की दशा में या इस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन के लिए किसी आवेदन के नामंजूर कर दिए जाने की दशा में, या किसी अन्य दशा में जहां अन्तरावरोधन कोई आदेश जारी किए बिना समाप्त हो जाता है, अन्तर्रुद्ध किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु को इस धारा के अतिक्रमण में अभिप्राप्त किया गया समझा जाएगा।

एकत्र की गई जानकारी का संरक्षण।

44. (1) इस अध्याय द्वारा प्राधिकृत किन्हीं साधनों द्वारा अंतर्रुद्ध किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु यावत्‌साध्य, टेप या तार या अन्य वैसी ही युक्ति पर ध्वन्यंकित की जाएगी और वह ऐसी रीति में की जाएगी जिससे कि ध्वन्यंकन को संपादन या अन्य परिवर्तनों से संरक्षित रखा जा सके ।

(2) आदेश की अवधि या उसके विस्तार की समाप्ति पर ऐसा ध्वन्यंकन, ऐसा आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके निदेशाधीन मुहरबंद कर दिया जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी आदेश करे और ऐसा ध्वन्यंकन सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा और किसी भी दशा में दस वर्ष तक रखा जाएगा।

(3) इस अध्याय के अधीन किए गए आवेदन और जारी किए गए आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुहरबंद किए जाएंगे और आवेदनों तथा आदेशों की अभिरक्षा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसा सक्षम प्राधिकारी निदेश दे और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना नष्ट नहीं किए जाएंगे और किसी भी दशा में दस वर्ष तक रखे जाएंगे ।

संसूचनाओं के अन्तरावरोधन द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की ग्राह्यता।

45. संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन के द्वारा एकत्र किया गया साक्ष्य किसी मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा :

परंतु इस अध्याय के अनुसरण में अन्तर्रुद्ध तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु या उससे व्युत्पन्न साक्ष्य, किसी न्यायालय में तब तक साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा या किसी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक अभियुक्त को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश और उसके साथ संलग्न आवेदन जिसके अधीन अन्तरावरोधन प्राधिकृत या अनुमोदित किया गया था, की प्रति विचारण, सुनवाई या कार्यवाही के कम से कम दस दिन पूर्व न दे दी गई हो :

परंतु यह और कि दस दिन की अवधि, मामले का विचारण कर रहे न्यायाधीश द्वारा अधित्यजित की जा सकेगी यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण, सुनवाई या कार्यवाही के दस दिन पूर्व उपरोक्त जानकारी अभियुक्त को देना संभव नहीं था और यह कि अभियुक्त पर ऐसी जानकारी प्राप्त करने में विलंब से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्राधिकार देने के आदेश का पुनर्विलोकन ।

46. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति, धारा 39 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का पुनर्विलोकन करेगी ।

(2) धारा 39 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या धारा 43 के अधीन अधिकारी द्वारा अननुमोदित प्रत्येक आदेश, पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा जिस पर यह विनिश्चय करने के लिए कि आदेश आवश्यक, युक्तियुक्त और न्यायोचित था, उसकी प्राप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर पुनर्विलोकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) पुनर्विलोकन समिति, संपूर्ण अभिलेख की परीक्षा करने और ऐसी जांच, यदि कोई आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात्, लिखित रूप में आदेश द्वारा या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित कर सकेगी या उसका अननुमोदन करने वाला आदेश जारी कर सकेगी ।

(4) पुनर्विलोकन समिति द्वारा अननुमोदन का आदेश जारी किए जाने पर, पहले से आरंभ हुआ अन्तरावरोधन, यदि कोई है, तुरंत बंद कर दिया जाएगा और टेप, तार या अन्य युक्ति के रूप में अन्तर्रुद्ध संसूचना, यदि कोई है, तत्पश्चात् किसी मामले में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी और उसे नष्ट किए जाने का निदेश दिया जाएगा ।

तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन और प्रकटन का प्रतिषिद्ध होना।

47. धारा 39 में जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी जो—

(क) किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को साशय अन्तर्रुद्ध करेगा, अन्तर्रुद्ध करने का प्रयास करेगा, या अन्तर्रुद्ध करने या अन्तर्रुद्ध करने का प्रयास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करेगा;

(ख) किसी मौखिक संसूचना को अन्तर्रुद्ध करने के लिए किसी इलैक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति का साशय उपयोग करेगा, उपयोग करने का प्रयास करेगा या उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करेगा, जब—

(i) ऐसी युक्ति किसी तार, केबल या तार संसूचना में प्रयुक्त अन्य तत्समान संयोजन के साथ लगाई जाती है या उनके माध्यम से कोई संकेत पारेषित किया जाता है; या

(ii) ऐसी युक्ति रेडियो द्वारा संसूचनाएं पारेषित करती है या ऐसी संसूचना के पारेषण में हस्तक्षेप करती है ;

(ग) यह जानते हुए या यह जानने का कारण होते हुए कि जानकारी इस अध्याय के अतिक्रमण में किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा प्राप्त की गई थी, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को साशय प्रकट करेगा या प्रकट करने का प्रयास करेगा;

(घ) यह जानते हुए या यह जानने का कारण होते हुए कि जानकारी इस अध्याय के अतिक्रमण में किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन द्वारा प्राप्त की गई थी, किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु का साशय उपयोग करेगा या उपयोग करने का प्रयास करेगा;

(ङ) धारा 39 द्वारा प्राधिकृत साधनों से अन्तरावरोधन किसी तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति को साशय प्रकट करेगा या प्रकट करने का प्रयास करेगा;

(च) इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूरी के किसी आदेश के जारी किए जाने के पश्चात् तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अन्तरावरोधन साशय जारी रखेगा;

(छ) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन समिति द्वारा अननुमोदन के किसी आदेश के जारी किए जाने के पश्चात् तार, इलैक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तरावरोधन को साशय जारी रखेगा,

तो ऐसे अतिक्रमण के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

अन्तरावरोधनों की वार्षिक रिपोर्ट ।

48. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार निम्नलिखित का पूर्ण लेखा-जोखा देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी—

(क) पुलिस विभाग से, जिसमें अभियोजन आरंभ हो गए हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अन्तरावरोधनों के प्राधिकार के लिए आवेदनों की संख्या ;

(ख) अनुज्ञात या नामंजूर किए गए ऐसे आवेदनों की संख्या ;

(ग) आपात् स्थितियों में किए गए अन्तरावरोधनों की संख्या और ऐसे मामलों में मंजूर किए गए या नामंजूर किए गए अनुमोदनों की संख्या ;

(घ) ऐसे अन्तरावरोधनों के आधार पर आरंभ किए गए अभियोजनों की और ऐसे अन्तरावरोधनों के परिणामस्वरूप दोषसिद्धियों की संख्या, उसके साथ प्राधिकृत अन्तरावरोधनों की उपादेयता और महत्व का सामान्य निर्धारण देने वाला एक स्पष्टीकारक ज्ञापन ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कलैंडर वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी :

परंतु यदि राज्य सरकार की यह राय है कि वार्षिक रिपोर्ट में किसी विषय को सम्मिलित करने से राज्य की सुरक्षा या किसी आतंकवादी कार्य के निवारण या पता चलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो राज्य सरकार ऐसे विषय को ऐसी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने से अपवर्जित कर सकेगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक कलैंडर वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वार्षिक रिपोर्ट में किसी विषय को सम्मिलित करने से देश की सुरक्षा या किसी आतंकवादी कार्य के निवारण या पता चलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो केन्द्रीय सरकार ऐसे विषय को ऐसी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने से अपवर्जित कर सकेगी ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना ।

49. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध, संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और "संज्ञेय मामले" का, जैसा वह उस खंड में परिभाषित है, तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) संहिता की धारा 167 ऐसे मामले के संबंध में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अंतर्वलित है, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उपधारा (2) में,—

(क) "पंद्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" के प्रति निर्देशों का, जहां-जहां वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः, "तीस दिन", "नब्बे दिन" और "नब्बे दिन" के प्रति निर्देश हैं ; और

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करना संभव नहीं है तो विशेष न्यायालय, अन्वेषण की प्रगति को और नब्बे दिन की उक्त अवधि से परे अभियुक्त के निरोध के लिए विनिर्दिष्ट कारणों को उपदर्शित करने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक विस्तारित करेगा :

परंतु यह भी कि यदि इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, न्यायिक अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा के लिए अनुरोध करता है तो वह ऐसा करने के लिए कारण बताते हुए, एक शपथ पत्र फाइल करेगा और ऐसी पुलिस अभिरक्षा का अनुरोध करने में किसी विलंब का, यदि कोई है, स्पष्टीकरण भी देगा ।"।

(3) संहिता की धारा 268, ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अंतर्वलित है, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होगी कि:—

(क) उसकी उपधारा (1) में,—

(i) "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" के प्रति निर्देश है ;

(ii) "राज्य सरकार के आदेश" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के आदेश" के प्रति निर्देश है; और

(ख) उसकी उपधारा (2) में "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश का यह अर्थ कि वह "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" के प्रति निर्देश है ।

(4) संहिता की धारा 366, धारा 367 और धारा 371, ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसमें विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध अंतर्वलित है, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगी कि "सेशन न्यायालय" के प्रति निर्देश का, जहां-जहां वह उसमें आता है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "विशेष न्यायालय" के प्रति निर्देश है ।

(5) संहिता की धारा 438 की कोई भी बात ऐसे किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करने के अभियुक्त किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित है ।

(6) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध अभियुक्त के किसी व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि न्यायालय लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर नहीं दे देता।

(7) जहां लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करता है वहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा विश्वास करने के आधार हैं कि वह उक्त अपराध करने का दोषी नहीं है :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त के निरोध की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस धारा की उपधारा (6) के उपबंध, लागू होंगे।

(8) उपधारा (6) और उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने पर निर्बंधन, जमानत मंजूर किए जाने के लिए संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्बंधनों के अतिरिक्त हैं ।

(9) उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को, यदि वह भारत

का नागरिक नहीं है और उसने देश में अप्राधिकृत या अवैध रूप से प्रवेश किया है तो, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय, और ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, जमानत मंजूर नहीं की जाएगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

50. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम अधिकारी ।

51. संहिता में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो,—

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में, पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी से निम्न पंक्ति का है ;

(ख) मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद महानगर क्षेत्रों में और संहिता की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किसी अन्य महानगर क्षेत्र में पुलिस सहायक आयुक्त से निम्न पंक्ति का है ;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) से असंबद्ध किसी अन्य दशा में पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी से निम्न पंक्ति का है,

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा ।

गिरफ्तारी ।

52. (1) जहां पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अभिरक्षा का ज्ञापन तैयार करेगा ।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही उसे पुलिस थाने में लाया जाता है, किसी विधि व्यवसायी से परामर्श करने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी।

(3) जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी गिरफ्तारी की सूचना ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसके अभाव में उक्त व्यक्ति के किसी संबंधी को तार, टेलीफोन या किसी अन्य साधन द्वारा दी जाएगी और इस तथ्य को पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा जिस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाएंगे ।

(4) गिरफ्तार व्यक्ति को, अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर रहे विधि व्यवसायी से मिलने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात विधि व्यवसायी को पूछताछ की समग्र अवधि के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

धारा 3 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा।

53. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि—

(क) धारा 4 में विनिर्दिष्ट आयुध या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ, अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे आयुध या विस्फोटक या उसी प्रकृति के अन्य पदार्थ, ऐसे अपराध के कारित होने में प्रयोग में लाए गए थे; और

(ख) अभियुक्त की अंगुलियों की छाप अपराध स्थल पर या आयुधों और यानों सहित किसी ऐसी चीज पर, जिसका प्रयोग ऐसे अपराध को करने के संबंध में किया गया था, पाए गए थे,

तो विशेष न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा करेगा।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, उस धारा के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है या उसके अभियुक्त होने का युक्तियुक्त संदेह है, कोई

न्यायालयों, आदि की अधिकारिता का वर्जन ।

54. किसी सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को, अधिनियम की धारा 19 और धारा 40 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, कोई अधिकारिता, शक्तियां या प्राधिकार नहीं होगा या उनका प्रयोग करने का हक नहीं होगा ।

व्यावृत्ति ।

55. (1) इस अधिनियम की कोई बात नौसेना, सेना या वायुसेना या संघ के अन्य सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता पर या उसको लागू प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी विधि के, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को मामूली दंड न्यायालय समझा जाएगा ।

अध्यारोही प्रभाव ।

56. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

57. इस अधिनियम के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध, जिसे इस अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, नहीं होंगी:

परन्तु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निदेशित किसी संक्रिया के दौरान सशस्त्र बलों या अन्य अर्ध सैनिक बलों के किसी सेवारत सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य द्वारा सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां उसके विरुद्ध नहीं होंगी।

विद्वेषपूर्ण कार्रवाई के लिए दंड और प्रतिकर ।

58. (1) कोई ऐसा पुलिस अधिकारी, जो यह जानते हुए कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक, शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) यदि विशेष न्यायालय की यह राय है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक कार्यवाही की गई है तो न्यायालय, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही की गई है, ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा जो वह ठीक समझे और वह ऐसे अधिकारी, व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार द्वारा संदत्त किया जाएगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट और आयुध अनुज्ञप्ति को परिबद्ध करना ।

59. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए आरोपित किया गया है, पासपोर्ट या आयुध अनुज्ञप्ति, ऐसी अवधि के लिए जो विशेष न्यायालय ठीक समझे, परिबद्ध की गई समझी जाएगी।

पुनर्विलोकन समितियां ।

60. (1) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक पुनर्विलोकन समितियां गठित करेगी ।

(2) ऐसी प्रत्येक समिति, एक अध्यक्ष और तीन से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनके पास ऐसी अर्हताएं होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) समिति का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तथापि आसीन न्यायाधीश की दशा में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी :

परन्तु संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, ऐसे व्यक्ति की, जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी ।

नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति ।

61. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उनके राज्यक्षेत्रों के भीतर विशेष न्यायालयों से संबंधित ऐसे नियम, यदि कोई हों, बना सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

नियम बनाने की शक्ति ।

62. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 61 के अधीन नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, जिनका नियंत्रण आवश्यक या समीचीन समझा जाता है, व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करना और ऐसे क्षेत्रों से ऐसे व्यक्तियों को हटाना ;

(ख) (i) किसी यान, जलयान या वायुयान; या

(ii) किसी स्थान, चाहे जो भी हो,

में जिसके बारे में ऐसा युक्तियुक्त संदेह है कि उसका उपयोग धारा 3 या धारा 4 में निर्दिष्ट अपराधों के करने के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के लिए किसी चीज का विनिर्माण या भंडारण करने के लिए किया जा रहा है, प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना;

(ग) (i) केन्द्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकार;

(iii) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक;

(iv) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी; या

(v) राज्य सरकार के जिला मजिस्ट्रेट से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी,

को आतंकवादी कार्यों के निवारण के लिए या उनसे निपटने के लिए साधारण या विशेष आदेश करने की शक्तियां प्रदान करना;

(घ) किन्हीं नियमों या उनके अधीन बनाए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उनका विचारण;

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी नियम या उसके अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न करता है, कारावास का, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने का, या दोनों का, दण्ड;

(च) किसी ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण और निरोध का, जिसके संबंध में खंड (ङ) में निर्दिष्ट उल्लंघन, प्रयत्न या दुष्प्रेरण किया गया है, और ऐसे अभिग्रहण और निरोध के, किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन का उपबंध करना;

(छ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन समपहृत संपत्ति की कीमत का अवधारण करना;

(ज) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन करने की प्रक्रिया; और

(झ) धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों की अर्हताएं।

आदेशों और नियमों का संसद् के सदनों के समक्ष रखा जाना।

63. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और बनाया गया प्रत्येक नियम, किए जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश या नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए या वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु आदेश या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

64. (1) आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश, 2001 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2001 का अध्यादेश 12

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

(धारा 18 देखिए)

आतंकवादी संगठन

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल ।
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स ।
3. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स ।
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ।
5. लश्कर-ए-तयबा/पासबान-ए-अहले हदीस।
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान ।
7. हरकत-उल-मुजाहिदीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी ।
8. हिज्ब-उल-मुज़ाहिदीन/हिज्ब-उल-मुज़ाहिदीन पीरपंजाल रेजिमेंट ।
9. अल-उमर-मुज़ाहिदीन ।
10. ज़म्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ।
11. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) ।
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ।
13. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ।
14. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ।
15. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (प्रिपाक) ।
16. कांग्लेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) ।
17. कांग्लेई याओल कान्बालुप (केवाईकेएल) ।
18. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) ।
19. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ।
20. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ।
21. लिबरेशन टाईगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) ।
22. स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इण्डिया ।
23. दीनदार अंजुमन ।
24. कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट)—पीपुल्स वार, इसकी सभी संस्थाएं और मुख्य संगठन।
25. माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी), इसकी सभी संस्थाएं और मुख्य संगठन।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, क्रम संख्यांक 24 और क्रम संख्यांक 25, अधिसूचना का॰ आ॰ सं॰ 1194(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2001 के प्रकाशन की तारीख से सम्मिलित की गई समझी जाएंगी।